

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102023-249278 CG-DL-E-09102023-249278

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] No. 574] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 2023/ आश्विन 17, 1945 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2023/ASVINA 17, 1945

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2023

# संख्या 58/2023-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 727(अ).—जबिक, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची की टैरिफ 7202 70 00 के अंतर्गत आने वाले "फैरो मोलीबडेनम" (इसके बाद विषय वस्तु के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित मामले में, व्यापार उपचार महानिदेशालय (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) ने भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के अनुसार, क्या कोरिया आरपी से विषय वस्तु का आयात बढ़े हुए आयात हैं और क्या बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है, निर्धारित करने के लिए दिनांक 30 सितंबर, 2022 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित, दिनांक 30 सितंबर, 2022 की मूल अधिसूचना के तहत फा. स. 22/03/2022-डीजीटीआर के द्वारा द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच आरंभ की गई थी;

और जबिक, दिनांक 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, दिनांक 29 मई, 2023 की फा.सं. 22/03/2022 डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच के अंतिम निष्कर्षों में, इस प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि-

- (i) कोरिया गणराज्य से उत्पाद का आयात बढ़ गया है और नियमों और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के अर्थ के तहत "बढ़े हुए आयात" हैं;
- (ii) बढ़े हुए आयात से गंभीर क्षति हुई है;

6377 GI/2023 (1)

(iii) बढ़े हुए आयात और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है;

और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों में विनिर्दिष्ट के अनुसार कोरिया आरपी में उत्पन्न होने वाली और भारत में आयातित विषय वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दर बढ़ाने के द्विपक्षीय रक्षोपाय की सिफारिश की थी।

अब, इसलिए, उक्त नियमावली के नियम 11 के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नामित प्राधिकारी के उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, एतदद्वाराभारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसंबर, 2009, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, संख्या सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2009, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु: -

उक्त अधिसचना में. -

(अ) तालिका में, क्रम संख्या 529 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"529क	7202 ( 7202 60, 7202 70 को छोड़कर )	सभी वस्तुएं	0.00
529ख	720270	फेरो-मोलीबडेनम	5.00
529ग	720270	फेरो- मोलीबडेनम	3.75";

(ब) तालिका के नीचे दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि, द्विपक्षीय रक्षोपाय को प्रभावी बनाने के लिए, जैसा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा अनुशंसित है, -

- (i) क्रम संख्या 528 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ में निहित कुछ भी 9 अक्तूबर, 2025 तक उस दिन सहित प्रभावी नहीं होगा :
- (ii) उक्त तालिका में क्रम संख्या 529क में निहित प्रविष्टियाँ केवल 9 अक्तूबर, 2025 तक उस दिन सहित प्रभावी होंगी;
- (iii) उक्त तालिका में क्रम संख्या 529ख में निहित प्रविष्टियाँ केवल 9 अक्तूबर, 2024 तक उस दिन सहित प्रभावी होंगी; और
- (iv) उक्त तालिका में क्रम संख्या 529ग में निहित प्रविष्टियाँ केवल 10 अक्तूबर, 2024 से 9 अक्तूबर, 2025 (दोनों दिनों सहित) तक प्रभावी होंगी;

जब तक कि इसे रह, अधिक्रमित या संशोधित न किया जाए।"

2. यह अधिसूचना 10 अक्तूबर 2023 को लागू होगी I

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/124/2023-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी] विक्रम वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसंबर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सं. सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2009 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और इसमें अधिसूचना 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2023

#### No. 58/2023-Customs

**G.S.R.727** (E).—Whereas, in the matter concerning imports of "Ferro Molybdenum" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 7202 70 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the Authority) initiated an Bilateral Safeguard investigation in terms of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the rules) *vide* initiation notification under F. No. 22/03/2022-DGTR, dated the 30<sup>th</sup> September, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30<sup>th</sup> September, 2022 in order to determine whether the imports of the subject goods from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry;

And whereas, in the final findings of the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F. No. 22/03/2022-DGTR, dated the 29<sup>th</sup> May, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29<sup>th</sup> May, 2023, the Authority has concluded that-

- (i) imports of the subject goods from Republic of Korea have increased and constitute "increased imports" within the meaning of the rules and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement;
- (ii) the increased imports have caused serious injury;
- (iii) there exists a causal link between the increased imports and serious injury to the domestic industry;

and recommended imposition of bilateral safeguard measure of increasing the rate of customs duty on subject goods originating in Korea RP and imported into India as specified in the aforesaid final findings, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 11 of the said rules, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31<sup>st</sup> December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2009, namely: -

In the said notification, -

(a) in the Table, after serial number 529 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"529A	7202 (except 720260, 720270)	All Goods	0.00
529B	720270	Ferro Molybdenum	5.00
529C	720270	Ferro Molybdenum	3.75";

(b) after the second proviso below the Table, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that, to give effect to the bilateral safeguard measure, as recommended by the Director General of Trade Remedies, -

(i) nothing contained in serial number 528 and entries relating thereto in the said table shall have effect up to and inclusive of the 9<sup>th</sup> day of October, 2025;

- (ii) the entries contained in serial number 529A in the said table shall have effect only up to and inclusive of the 9<sup>th</sup> day of October, 2025;
- (iii) the entries contained in serial number 529B in the said table shall have effect only up to and inclusive of the 9<sup>th</sup> day of October, 2024; and
- (iv) the entries contained in serial number 529C in the said table shall have effect only from the 10<sup>th</sup> day of October, 2024 to the 9<sup>th</sup> day of October, 2025 (both days inclusive);

unless revoked, superseded or amended earlier.".

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October 2023.

[F. No. CBIC-190354/124/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 152/2009-Customs, dated the 31<sup>st</sup> December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2009 and was last amended *vide* notification No. 23/2022-Customs, dated the 30<sup>th</sup> April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 326(E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2022.